कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, जौनपुर।

विज्ञप्ति संख्या– 556 /जि0आ0अ0/व्यवस्थापन/2020–21/जौनपुर/दिनांकः जून 11 2020

विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 2902/दिनॉक 19.03.2020 के क्रम में आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या–11592–11666/टास्क फोर्स–2/ई–लाटरी/ 2019–20/लखनऊ दिनांक 08.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जौनपुर में वर्ष 2020–21 हेतु अवशेष अव्यवस्थित **भॉग की 12** फुटकर दुकानों का तृतीय चरण में ई–लाटरी प्रकिया से व्यवस्थापन होना है। आवेदन करने की तिथि दिनांक 12.06.2020 के पूर्वान्ह 11.00 बजे 17.06.2020 के सांय 05.00 बजे तक है। आवेदन पत्र ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन दिनॉक 12.06.2020 से आमंत्रित होना हैं। अर्ह आवेदकों को दुकान के आवंटन हेतु ई–लाटरी दिनांक 19.06.2020 को कलेक्ट्रेट सभागार, जौनपुर में अपरान्ह 03.00 बजे से प्रारम्भ होगी।

व्यवस्थापन हेतु दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण, निम्नवत है एवं जनपद की बेबसाइट http://jaunpur.nic.in.विभागीय बेवसाइट www. oldupexcise.in तथा ई–लाटरी पोर्टल upexciseelottery.gov.in पर भी देखी जा सकती है अथवा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर से भी प्राप्त की जा सकती है। जिला आबकारी अधिकारी जौनपुर के पद नाम से राष्ट्रीयकृत बैक से निर्गत धरोहर धनराशि का बैक ड्राफ्ट पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात उसकी मूल प्रति कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर में दिनॉक 17.06.2020 को सांय 6–00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। नीचे उल्लिखित दुकानों का दैनिक आधार पर विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से नियमित/स्थाई व्यवस्थापन होने तक दैनिक आधार पर दुकान संचालन हेतु भी सर्व साधारण से आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत किया जा सकता है।

कम सं0	नाम दुकान	शाप आईडी0	प्रास्थिति	कोटा / एम0जी0क्यू0	प्रतिफल शुल्क (MGQ X 20)	वार्षिक लाइसेंस फीस	धरोहर धनराशि	प्रतिभूति धनराशि	साल्वेंसी की धनराशि
1	करेंपट्टी (क)	61495	ग्रामीण	12	240	135000	13500	22540	135000
2	करेंपट्टी (ख)	62771	ग्रामीण	12	240	135000	13500	22540	135000
3	ऊचनीकलॉं (क)	61564	ग्रामीण	30	600	30000	5000	5100	30000
4	ऊचनीकलॉं (ख)	62772	ग्रामीण	30	600	30000	5000	5100	30000
5	खुटहन (ख)	62773	ग्रामीण	20	400	505000	50500	84234	505000
6	खेतासराय (ख)	62774	नगर पंचायत	50	1000	425000	42500	71000	425000
7	सुजानगंज (क)	61840	ग्रामीण	75	1500	635000	63500	106100	635000
8	सुजानगंज (ख)	62775	ग्रामीण	75	1500	635000	63500	106100	635000
9	सिंगरामऊ (ख)	62776	ग्रामीण	30	600	275000	27500	45934	275000
10	महराजगंज (क)	61910	ग्रामीण	45	900	445000	44500	74317	445000
11	महराजगंज (ख)	61910	ग्रामीण	45	900	445000	44500	74317	445000
12	ओलन्दगंज (ख)	62770	नगरपालिका	300	6000	335000	33500	56834	335000

11.06.20

जिला आबकारी अधिकारी,
जौनपुर।

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
जौनपुर।

संख्या–557–70/व्यवस्थापन/2020–21/जौनपुर/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को व्यवस्थापन हेतु जिला स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– संयुक्त आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

4– संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी।

5– उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी प्रभार, वाराणसी।

6– विशेष कार्यकारी अधिकारी/आशुलिपिक, कलेक्ट्रेट, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

7– जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को उपरोक्त विज्ञापन के बिल को सत्यापित करने हेतु।

8– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जौनपुर को दुकानों का विवरण संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराये।

9– समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र, जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संवंधित भांग की दुकानों पर आन लाईन आवेदन कर व्यवस्था कराने हेतु पूरी तन्मयता, निष्ठा एवं मनोयोग से भांग की दुकानों का शत प्रतिशत व्यवस्थापन सुनिश्चित कराने हेतु।

10– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र–दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार पत्रों में अगले दिवस के अंक में जौनपुर के पेज पर न्यूनतम स्थान एवं दर पर विज्ञापन प्रकाशित कर बिल जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जौनपुर से सत्यापित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

11.06.20

जिला आबकारी अधिकारी,
जौनपुर।